न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सांवरमल बनाम [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु.नं. - 146/2023

रीख हुक्म

[illegible]

20.01.2025

पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
146 / 2023	2023 / 362	28.08.2023	20.01.2025

उनवान प्रकरण

1. सांवरमल पुत्र स्व. घीसानाथ आयु 67 वर्ष जाति योगी निवासी ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

–वादी–

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar

Date: 2025.08.26 15:51:04 IST

Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत् उद्घो[illegible] दुरूस्ती रिकार्ड

(अन्तर्गत धारा 88 राज[illegible] अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 457, 458, 459, 460, 461, 462, 637, 638, 639, 640 कुल किता 10 कुल रकबा 7.09 हैक्टर का वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.74 हैक्टर तन ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर वर्तमान जिला नीमकाथाना का वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार हैं। वादी को अपने गांव, समाज बिरादरी में आम बोलचला की भाषा में लालू के नाम से पुकारते है और लालू पुत्र घीसालाल ही सांवरमल पुत्र घीसानाथ एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर वादी की पैतृक उक्त कृषि भूमियों का विरासत का नामान्तकरण हुआ तो वादी के परिजनो ने ही विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही की थी। इसलिए उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में खातेदारी बाबत विरासत के नामान्तकरण कार्यवाही के वक्त वादी का नाम लालू पुत्र घीसालाल ही दर्ज हो गया जबकि वादी के समस्त शेक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादी का नाम सांवरमल पुत्र घीसानाथ ही दर्ज हैं और इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों का राजस्व अभिलेख में खातेदारी में वादी का न म लालू पुत्र घीसालाल अंकित है। जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम सांवरमल पुत्र घीसानाथ अंकित होने से नाम में भिन्नता होने से आपस मं मेल नहीं खाता हैं जिससे वादी को अलग व्यक्ति समझा जाता है और वादी का नाम राजस्व अभिलेख में एवं अन्य समस्त सरकारी रिकाउं दस्तावेज में भिन्नता होने से वादी की सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहा जाता हैं जिससे वादी को काफी परेशानी होती है और भविष्य में भी वादी के गंभीर विधिक अडचने उत्पन्न होने की संभावनाए सदेव बनी रहती है। इसलिए उकत वादग्रसत भूमियों के राजस्व अभिलेख खतोनियों में वादी का नाम लालू पुत्र घीसानाथ के स्थान पर सांवरमल पुत्र घीसानाथ सही रूप से अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख खतोनी में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादी का नाम सांवरमल पुत्र घीसानाथ सही रूप से अंकित किये जाने में ही वादी को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले [illegible] कृषि भूमियों पर कृषि ऋण कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से संपर्क करने [illegible] उक्त राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादी के नाम लालू अंकन [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में अपना नाम दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कराने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत कहने पर वादी को न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वादपत्र निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि तन ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 457, 458, 459, 460, 461, 462, 637, 638, 639, 640 कुल किता 10 कुल रकबा 7.09 हैक्टर का वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.74 हैक्टर में हिस्सा 1/4 का खातेदार लालू पुत्र घीसालाल के स्थान पर सांवरमल पुत्र घीसानाथ उद्घोषित किया जावें। इस प्राकर से वाद में संदर्भित कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में इसी भांति सांवरमल पुत्र घीसानाथ का नाम दुरूस्त किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तामील असालतन होकर लोटी है, बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2024/भू.अ./2165 दिनांक 25.09.2024 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का करडका की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास के खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 457 किता 10 रकबा 7.09 हैक्टर एवं खता संख्या 59 खसरा नम्बर 492 रकबा 0.74 हैक्टर के खाातेदार लालू पुत्र घीसालाल जाति जोगी सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक ग्‍ग्रम वासियो एवं सहखातेदारो से पूछताछ करने पर लालू का नाम सांवरमल भी हैं। लालू पुत्र घीसालाल व सांवरमल पुत्र घीसानाथ दोनो एक ही व्यक्ति है। इनके समस्त दस्तावेजो एवं ग्राम पंचायत करडका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सांवरमल पुत्र घीसानाथ हैं वकील वादी ने वादी के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादी सांवरमल पुत्र स्वर्गीय घीसानाथ एवं साक्ष्य वादी गवाह में गोपालराम पुत्र घीसालाल ज... ...नाथ के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी ने वादपत्र में ... ...के ... में लिखितशुदा शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

... कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बिल तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का करडका की जॉच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका 457, 458, 459, 460, 461, 462, 637, 638, 639, 640 कुल किता 10 कुल रकबा 7.09 हैक्टर का वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.74 हैक्टर में हिस्सा 1/4 का खातेदार लालू पुत्र घीसालाल दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बिल तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का करडका की जॉच रिपोर्ट में भी वादी का नाम सांवरमल पुत्र घीसानाथ दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। लेकिन सभी राजस्व रिकार्ड, सभी जमाबंदियों एवं नामांतरण पत्रक में वादी के पिता का नाम घीसालाल ही दर्ज तथा उक्त भूमियां पूर्व में घीसालाल के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। साथ ही राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के अन्य भाइयों के भी पिता का नाम घीसालाल ही दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर केवल वादी के नाम को दुरूस्त करते हुए वादी का नाम लालू पुत्र घीसालाल के स्थान पर सांवरमल उर्फ लालू पुत्र घीसालाल शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका तससील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 457, 458, 459, 460, 461, 462, 637, 638, 639, 640 कुल किता 10 कुल रकबा 7.09 हैक्टर का वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.74 हैक्टर में हिस्सा 1/4 का खातेदार लालू पुत्र घीसालाल के स्थान पर सांवरमल उर्फ लालू पुत्र घीसालाल घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:04 IST
Reason: SelfAttested